

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(101)/एस एफ/बजट/लेखा/आकाशि/2019/62

दिनांक 4/10/19


1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय (पुरुष/महिला/विधि/टी.ए.डी)।
2. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा
जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ :- आयुक्तालय का पत्र क्रमांक एफ 20(101)/एस एफ/बजट/लेखा/आकाशि
/2019/ 53-61 दिनांक 20.09.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान आयुक्तालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किये जाने हैं। प्रायः देखा गया है कि बजट अनुमान प्रयोगशाला सहायक/कनिष्ठ सहायक के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हे उक्त संदर्भ में कोई ज्ञान/कोई जानकारी नहीं होती अतः बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष अथवा लेखाकर्मी ही उपस्थित होना सुनिश्चित करें जो कि महाविद्यालय/कार्यालय के बजट आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखते हों। बजट प्रस्तुत करने हेतु समस्त सूचनाओं एवं नियत प्रोफार्मा में बजट आवश्यकता के औचित्य को सिद्ध करने योग्य बजट नोट सहित निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से उपस्थित हों।


(प्रदीप कुमार बोरड), आई.ए.एस.

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव(उच्च शिक्षा)

दिनांक

क्रमांक एफ 20(101)/एस एफ/बजट/लेखा/ आकाशि /2019

प्रतिलिपि : वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर